न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–56 / 2020 (2020 / 00154) वादपत्र

उनवान

1. बरदु पिता उदा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पोखर पिता उदा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लोभचंद पिता सुखा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन– अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक 25.07.2023

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.06.2022 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात खाता संख्या 222 में अंकित आराजी संख्या 1674 रकबा 0.62 है0, आराजी संख्या 1675 रकबा 1.54 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1 / 3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 14.06.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 222 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1675 / 4 रकबा 0.70 है0 भूमि बरदु पुत्र उदा कलाल सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1674 / 3 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1675 / 3 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 भूमि पोखर पुत्र उदा कलाल सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1674 / 2 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1675 / 1 रकबा 0.48 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 भूमि लोभचन्द पिता सुखा कलाल सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1674 / 1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1675 / 2 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 है0 भूमि सामलाती बदस्तुर रेकार्ड रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–56 / 2020 (2020 / 00154) वादपत्र

उनवान

1. बरदु पिता उदा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पोखर पिता उदा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लोभचंद पिता सुखा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 222 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1675 / 4 रकबा 0.70 है0 भूमि बरदु पुत्र उदा कलाल सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1674 / 3 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 1675 / 3 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 भूमि पोखर पुत्र उदा कलाल सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1674 / 2 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1675 / 1 रकबा 0.48 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है0 भूमि लोभचन्द पिता सुखा कलाल सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1674 / 1 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1675 / 2 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.06 है0 भूमि सामलाती बदस्तुर रेकार्ड रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 25.07.2023 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाड़ा)